

**फार्म ए**  
**सार्वजनिक सूचना**

(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के विनियमन 6 के तहत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया) नियम, 2016)

**दीवान हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यान देने के लिए**

रिलेवंट पर्टिकुलर्स		
1.	कॉर्पोरेट डेब्टर <sup>1</sup> का नाम	दीवान हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल)
2.	कॉर्पोरेट डेब्टर <sup>1</sup> के इनकार्पोरेशन की तारीख	11 अप्रैल, 1984
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट डेब्टर <sup>1</sup> इनकार्पोरेटेड / रजिस्टर्ड है	कंपनियों के रजिस्ट्रार
4.	कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नं./ कॉर्पोरेट डेब्टर <sup>1</sup> का लिमिटेड लायबिलिटी आइडेंटिफिकेशन	CIN: L65910MH1984PLC032639
5.	कॉर्पोरेट डेब्टर <sup>1</sup> के रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस (यदि कोई हो) का पता	<b>पंजीकृत कार्यालय:</b> वार्डन हाउस, दूसरी मंजिल, पीएम रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 <b>प्रधान कार्यालय:</b> ग्राउंड और 6 <sup>ठी</sup> मंजिल, एचडीआईएल टावर्स, अनंत कणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
6.	कॉर्पोरेट डेब्टर <sup>1</sup> के संबंध में इनसॉल्वेंसी प्रारंभ तिथि	3 दिसंबर, 2019 के आदेश नं. सी.पी. (आईबी)- 4258/ एमबी/ 2019 हवाले से दिनांक 3 दिसंबर, 2019, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच द्वारा पारित
7.	इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस बंद करने की अनुमानित तारीख	दिवाला प्रारंभ तिथि से 180 दिन जो 31 मई, 2020 है
8.	इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल <sup>2</sup> के रूप में काम करने वाले इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार
9.	इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल <sup>2</sup> का पता और ई-मेल जैसा मंडल में रजिस्टर्ड है	पता: 6 <sup>ठी</sup> मंजिल, एचडीआईएल टावर्स, अनंत कणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 ई-मेल आईडी: dhfladministrator@dhfl.com
10.	इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल <sup>2</sup> से पत्राचार के लिए उपयोग की जाने वाली एड्रेस और ई-मेल	पता: 6 <sup>ठी</sup> मंजिल, एचडीआईएल टावर्स, अनंत कणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 ई-मेल आईडी: dhfladministrator@dhfl.com
11.	क्लेम प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	17 दिसंबर 2019 (अर्थात प्रशासक को आदेश की सूचना की तारीख से 14 दिन)
12.	क्रेडिटर्स के वर्ग, अगर कोई हो, सेक्शन 21 के सब- सेक्शन (6 ए) के सेक्शन (बी) के तहत इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल <sup>2</sup> द्वारा निर्धारित	पब्लिक डिपॉजिटर्स
13.	इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल <sup>2</sup> के नाम एक वर्ग (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) में क्रेडिटर्स के आथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए	1. चारु संदीप देसाई (IBBI/IPA-001/IP- 00434/2017-18/10757) 2. दीपक कुमार (IBBI/IPA-001/IP-P-01605/2018-2019/12431) 3. प्रवीण नवांर (IBBI/IPA-001/IP-P00008/2016-17/10027)
14.	(ए) प्रासंगिक फार्म्स और (बी) ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स का विवरण यहां उपलब्ध हैं:	वेब लिंक: <a href="https://www.dhfl.com/information-regarding-nclt">https://www.dhfl.com/information-regarding-nclt</a> या <a href="https://www.ibbi.gov.in/home/downloads">https://www.ibbi.gov.in/home/downloads</a> 6 <sup>ठी</sup> मंजिल, एचडीआईएल टावर्स, अनंत कणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 या <a href="https://www.dhfl.com/information-regarding-nclt">https://www.dhfl.com/information-regarding-nclt</a>

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 3 दिसंबर 2019 को डीएचएफएल के कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया है।

डीएचएफएल के क्रेडिटर्स को एतद्वारा 17 दिसंबर 2019 के बाद या उससे पहले सबूतों के साथ अपने दावे इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को प्रविष्टि संख्या 10 में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करने को कहा जाता है।

वित्तीय क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी क्रेडिटर्स डाक या व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडिटर, जैसा एंट्री नं. 12 में लिस्टेड है, प्रविष्टि नं. 13 में सूचीबद्ध तीन इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में से ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की अपनी पसंद इंगित करेगा, सी.ए. के फार्म में पब्लिक डिपॉजिटर के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करने के लिए।

क्लेम के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करना दंड आकर्षित करेगा।

एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और हस्ताक्षर: श्री आर. सुब्रमण्यकुमार

दिनांक और स्थान: 4 दिसंबर, 2019 को मुंबई में

नोट्स :

1. इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के अनुसार कॉर्पोरेट डेब्टर्स वित्तीय सेवा प्रदाता को संदर्भित करता है (वित्तीय सेवा प्रदाता की इन्सॉल्वेंसी और लिक्विडेशन प्रोसीडिंम्स और एडजुकेटिंग अथॉरिटी) नियम, 2019
2. इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का अर्थ होगा माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त प्रशासक अपने आदेश नं सी.पी. (आईबी) - 425 / एमबी / 2019 दिनांक 3 दिसंबर 2019 के हवाले से इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के प्रावधानों के अनुरूप (इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन प्रोसिडिंम्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड अप्लीकेशन टू एडजुकेटिंग अथॉरिटी) रूल्स: 2019